क्रम-संख्या—191

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०–4।

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 13 अगस्त, 2004

श्रावण 22, 1926 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1231/सात-वि-1–1(क)26-2004

लखनऊ, 13 अगस्त, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004 पर दिनांक 12 अगस्त, 2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2004

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2004)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1994 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 4 में, उपधारा (1) में,–

(क) खण्ड (क) में शब्द ''एक वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''तीन वर्ष'' रख दिये जायेगें;

(ख) खण्ड (घ) में शब्द और अंक ''उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2001'' के स्थान पर शब्द और अंक ''उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2004'' रख दिये जायेगें।

(ग) खण्ड (ङ) निकाल दिया जायगा।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 की धारा-4 में यह व्यवस्था है कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने पद धारण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिएं पद धारण करेगा। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य की उक्त अवधि, अधिकाधिक प्रतिष्ठा, योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों की सेवाओं से आयोग को लाभान्वित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि आयोग के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य की अवधि एक वर्ष से तीन वर्ष तक बढ़ाने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाए जिससे कि उक्त आयोग को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

तदनुसार उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्म वीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 1231(2)/VII-V-1–1 (Ka) 26-2004
Dated Lucknow, August 13, 2004

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Alp Sankhyak Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2004 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 2004) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 12, 2004.

THE UTTAR PRADESH COMMISSION FOR MINORITIES (AMENDMENT) ACT, 2004

(U.P. ACT NO. 20 OF 2004)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Commission for Minorities Act, 1994

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Commission for Minorities (Amendment) Act, 2004.

Amendment of section 4 of U.P. Act. no. 22 of 1994

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Commission for Minorities Act, 1994 in sub-section (1),–

(*a*) In clause (a) *for* the words ''one year'' the words ''three years'' shall be *substituted*;

(*b*) In clause (d) *for* the words and figures "Uttar Pradesh Commission for Minorities (Amendment) Act, 2001" the words and figures "Uttar Pradesh Commission for Minorities (Amendment) Act, 2004" shall be *substituted*.

(*c*) Clause (e) shall be *omitted*.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 4 of the Uttar Pradesh Commission for Minorities Act, 1994. Provides that the Chairman and every Member of Uttar Pradesh Commission for Minorities shall hold office for a term of one year from the date he assumes office. The said term of the Chairman and every Member is not adequate to benefit the Commission with the services, of more and more persons of eminence, ability and integrity. It has, therefore been decided to amend the said Act to increase the term of the Chairman and every Member of the Commission from one year to three years so as to make the said Commission more effective.

The Uttar Pradesh Commission for Minorities (Amendment) Bill, 2004 is introduced accordingly.

By order,
D. V. SHARMA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 347 राजपत्र (हि0)–(932)–2004–597 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 154 सा० विधायी–(933)–2004–850 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/आफसेट)।